AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

जनजातिय परिवार मे विस्थापन का प्रभावः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. शिवानी राय
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
शासकीय महाविद्यालय,
हटा, जिला–दमोह, मध्यप्रदेश, भारत

शोध सार

आधुनिक समाज समस्याओं का समाज है। जैसे–जैसे हम विकास करते जा रहे हैं वैसे–वैसे नई–नई समस्याओं का जन्म होता जा रहा है। इन्हीं समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या वन क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप से जनजाति परिवार के सामने आ खड़ी है। प्रस्तुत शोध पत्र जनजातीय परिवार के विस्थापन पर आधारित है जिसमें शोधार्थी ने तथ्य संकलन में प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही स्रोतों का उपयोग किया है। दूसरे लोगों को सुविधाएं या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई वन क्षेत्रों को भारत शासन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया ताकि वहां कई परियोजनाओं का निर्माण किया जा सके और किया भी गया, जिनमें प्रमुख नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश शामिल है। इसके साथ ही सुवर्णरेखा तथा कोयला कारो परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, पन्ना रिजर्व टाइगर अभ्यारण्य इत्यादि शामिल है। वन क्षेत्रों में वर्षों से निवास करने वाले जनजाति परिवार को वहां से अलग कर दूसरी जगह विस्थापित करने की योजना बनाई गई और उन्हें विस्थापित भी किया गया जिस कारण उनके परिवार के सामने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक समस्याओं ने जन्म ले लिया है, प्रस्तुत अध्ययन इसी संदर्भ में किया गया है।

मुख्य शब्द

जनजाति, वनवासी ग्रामीण, विस्थापन, जनजाति परिवार, प्रभाव.

प्रस्तावना

विकास के कार्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है और इन परिवर्तनों के कारण अक्सर बसे बसाये क्षेत्रों को विस्थापित करना जरूरी हो जाता है, लेकिन जैसा कि मारकेल करनिया (1998) का कथन है कि आबादी की इच्छा के विरुद्ध उसे उसके स्थान से विस्थापित करने का काम नहीं करना चाहिए या जहां तक संभव हो सके उसे टालना चाहिए। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि विस्थापित करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प सामने ना हो तो विस्थापित करने के कार्य को इस तरीके से करना चाहिए जिससे विस्थापित होने वाले की जीविका के साधन का पूरा संरक्षण प्राप्त हो सके। विस्थापन कार्य के विनाशकारी सामाजिक प्रभाव का उल्लेख सबसे पहले नृ–विज्ञानियों ने किया था।

भारत में जनजाति समूह का विस्थापन तो सदियों से जारी है। परंतु इधर विकास के नाम पर बढ़ती गई नीतियों के कारण वे केवल अपने जंगलों, संसाधनों व गांवों से ही बेदखल नहीं बल्कि उनके मूल्यों, नैतिक

अवधारणाओं, जीवन शैलियो, भाषाओं एवं संस्कृतियों से भी उनके विस्थापन की प्रक्रिया तेज हो गई। आजादी के बाद योजना विकास से आर्थिक क्षेत्र में विशेषतया ऊर्जा, खनिज, भारी उद्योग, सिंचाई, उद्यान, अभ्यारण तथा आधारभूत विकास कार्यों में क्रांतिकारी प्रगति तो हुई किंतु इन प्रगति के लिए लाखों लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी जिन्हें बिना किसी इच्छा के अपने जमीन और रोजी–रोटी से हाथ धोना पड़ा। विस्थापन का अर्थ है, व्यक्ति, परिवार अथवा परिवार के समूहों का एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरण।

जनजाति क्षेत्रों में आम शिकायत यह रही है कि बाहरी लोग स्थानीय लोगों की जमीन को हड़प रहे हैं। कुछ दशक पहले यह आरोप निजी लोगों के विरुद्ध था। विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाने से समस्या को नया आयाम मिल गया है। क्षेत्रीय विकास के लिए इन क्षेत्रों में समूह प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, जल, खनिज, अयस्क, वन आदि का दोहन अपरिहार्य था। परिणामतः लोक निर्माण जैसे उद्योग, खनन, शक्ति, सिंचाई और यहां तक कुछ वन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि ने अनेक जनजाति परिवार को परिवारों को विस्थापित कर दिया। शिक्षा, साहस और चतुराई के अभाव में यह परिवार नई गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकी। न्यूनाधिक साधन हीन बना दिए गए और कुछ मामलों में बिल्कुल ही दीन–हीन। भारत के मध्य भाग के वनवासी क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के राज्यों में कुछ दशकों में गहन औद्योगिक खनन व परियोजनाएं संबंधित कार्य गतिविधियां बढ़ी है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत संघ में लीन हो गया और 1948 में निर्मित श्रेणी के राज विंद प्रदेश का अंग बना। जब राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया और नए राज्य मध्यप्रदेश का उदय हुआ तथा पन्ना जिले को मध्यप्रदेश में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में पन्ना मध्य प्रदेश के सागर संभाग में है। पन्ना जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 315424 हेक्टेयर वनों से आच्छादित है जो कि वन विभाग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार भौगोलिक क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है तथा 573123 हेक्टेयर में कृषि की जाती है। यह प्रदेश का 1 पॉइंट 625 भूभाग है।

वन्य प्राणियों के संरक्षण विकास एवं विस्तार के परियोजना के लिए तथा वन्य प्राणी के विचरण की दृष्टि से वन्यजीवों के प्राकृतिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 1 के अनुसार कुछ क्षेत्रों को जहां पर बाघों की बहुलता थी वहां पर 1973 में पहली बार बाघ परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की।

प्रस्तुत शोध पत्र मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत उन वनवासी जनजाति परिवारों का अध्ययन है, जिन्हें वहां से विस्थापित किया गया है। विस्थापित होने से पूर्व व पश्चात् उनके परिवारों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। इससे पूर्व शोधार्थी ने वर्ष 2001 से 2006 मे भी इस विषय से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य कर चुकी है। प्रस्तुत शोध पत्र में तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है।

जनजाति परिवार

जनजाति या वन्य जाति (वनवासी) में आदिम, आदिवासी, वनवासी, गिरी जन तथा अनुसूचित जनजाति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इन्हें आदिम या आदिवासी इसलिए कहा जाता है कि यह भारत के प्राचीनतम निवासी माने जाते हैं और संभवत भारत में द्रविडो के आगमन से पूर्व यहां यही लोग निवास करते थे। महाद्वीपों के दुर्गम क्षेत्रों में हजारों वर्षों से निवास करता आ रहा। यह मानव समूह विश्व की सभ्यता से दूर अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की पहचान बनाए हुए बीहड़ वनो, मरुस्थलो ऊंचे पर्वतों और अनुवर पठारो के उन अंचलों में निवास कर रहे जिन्हें आधुनिक समाज की अर्थ दृष्टि अनुत्पादक मानती है। इन मानव समूहों का अपना अनु लिखित इतिहास था। हिंदी में ऐसे मानव समूहों के लिए आदिवासी, कबीली आबादी, वनवासी और जनजाति जैसे संबोधन है। यह सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के नेटिव एवोरीजनल और ट्राईब शब्दों के पर्याय हैं।

उपर्युक्त कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति आदि किसी भी नाम से हमारे समाज में पहचाना जाने वाला वह वर्ग है, जो प्रायः जंगलों, पहाड़ों और दूरदराज के इलाकों में आधुनिक सभ्यता के लाभों से वंचित प्रगति की दौड़ में पिछड़ा, शिक्षा तथा जागरण के वरदान से प्रायः अछूता और शोषण का शिकार है। लेकिन शोधार्थी ने अपने अध्ययन पर यह पाया कि यह समूह अपने आप में परिपूर्ण है। यह अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति से संतुष्ट है। यह अपने क्षेत्रों में रहने के आदि हैं। इनके सामने समस्याओं ने तब जन्म लेना प्रारंभ कर दिया जब इनके क्षेत्रों में बाहरी लोगों के द्वारा हस्तक्षेप कर दिया गया। विकास व सभ्यता के नाम पर इन्हें अपने अपने क्षेत्रों से ही बेदखल करने का प्रयास किया गया और वह सफल भी हुए तत्पश्चात् इन लोगों के जीवन में नई–नई समस्याओं का प्रादुर्भाव होने लगा जिसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है।

जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार मानवीय संस्थाओं को पूर्ण करने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ होती है। कतिपय आवश्यकताएँ यथाः– भूख, प्यास, वस्त्र, आवास बुनियादी आवश्यकताएँ होती हैं तथा साथ ही मानसिक व भौतिक सुरक्षा की व्यवस्था यह सारी आवश्यकता की पूर्ति परिवार के मध्य से होती हैं इसलिए परिवार के बिना समाज में मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। इस कारण सभ्यता के भंडारों में परिवार समाज की अभी निकाय के रूप में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहता है। संस्कृति के विकास के चरण में परिवार का अस्तित्व अवश्य देखने को मिलता है। मनुष्य का जन्म, विकास व संस्कृतिकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। कालांतर में परिवार के विभिन्न रूपों का विकास हुआ है यथा मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, बहू पति तथा बहू पत्नी परिवार, संयुक्त व नाभिक परिवार।

प्रस्तुत शोधपत्र में शोधार्थी ने जनजाति परिवार में विस्थापन के पूर्व व पश्चात् होने वाले प्रभाव या परिवर्तन का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है।

जब हम किसी वन क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों को दूसरे क्षेत्रों में विस्थापित करते हैं तो वहां रहने वाले परिवारों के सामने विभिन्न प्रकार की नई समस्याओं का जन्म होता है जिनमें हम सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं को प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष देख सकते हैं।

विस्थापन के पूर्व प्रभाव

विस्थापन करना या होना सैद्धांतिक रूप से जितना सरल है, व्यवहारिक रूप में उतना ही कठिन है। यद्यपि इन परिवारों को अपनी परंपरागत संपत्ति के अनुरूप ही मुआवजा देकर विस्थापित किया जाता है। आर्थिक रूप से तो शासन इन परिवारों की समस्या का समाधान कर देती है पर इन परिवारों की अलग ही समस्याएं थी विस्थापन को लेकर। जनजाति परिवार जो एक लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अपने क्षेत्रों में आजादी से निवास कर रहे थे उनका उन क्षेत्रों से लगाव, उनकी दैनिक जीवन शैली, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध जो उनके वहां से निर्मित थे। अपने ही वन क्षेत्रों में वे बंधक बन कर रह गए थे जब तक वह वहां से विस्थापित नहीं कर दिए गए। इस विस्थापन की लंबी प्रक्रिया ने उन परिवारों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया।

विस्थापन के पश्चात् प्रभाव

- जनजाति परिवार विस्थापन के बाद अलग–अलग बंट गए, मुआवजे की राशि के अनुसार।
- शासन द्वारा इन्हें अलग–अलग समय पर विस्थापित किया गया अपने नियमों व संसाधनों के अनुसार, जिसके कारण भी इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा व इनका जीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ।
- आर्थिक की अपेक्षा सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।
- पहले जो उनके पारिवारिक सामाजिक संबंध हुआ करते थे वे अब नहीं रहे।
- उनकी जो जीवन जीने की पारंपरिक संस्कृति थी उसमें परिवर्तन आया क्योंकि उनकी जीवनशैली वन क्षेत्रों से संबंधित थी।

- आधुनिक समाज के संपर्क में आने के कारण यह अपनी परंपरागत संस्कृति को धीरे धीरे छोड़ते या भूलते जा रहे हैं।
- इनका जो अपना मूल स्वभाव था उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।

एक ओर तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने की बात करते हैं तो दूसरी ओर सभ्यता व विकास के नाम पर अपनी ही संस्कृति को दांव पर लगा देते हैं।

निष्कर्ष

अंततः निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि हमें विकास की ऐसी दिशा तय करनी होगी जहां किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय मूल्यों, स्वतंत्रता व उनके अस्तित्व को खतरा ना पहुंचे। विस्थापन के द्वारा जनजाति परिवारों में हुए प्रभाव प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिले जो बहुत ही चिंतनीय गंभीर विषय है, यदि हमने इस पर ठोस कार्य नहीं किय तो हम विकास व सभ्यता के नाम पर अपनी सांस्कृतिक धरोहर, पहचान को धीरे–धीरे खो बैठेंगे।

सन्दर्भ सूची

1. Goode J. Wellman, (1993) *"Modem Organisation"* New Delhi, Prentice, Hall of India Pvt. Ltd.
2. पिंगला भीमराव, (1995), *"मानव समस्या समाधान"* कानपुर, समता प्रकाशन।
3. पाठक सोमनाथ, (1999), *"गोड जनजातीय"*, नई दिल्लीः सूचना और प्रसारण।
4. श्रीनिवास एम.एन., (1992), *"आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन"* दिल्लीः राजकमल प्रकाशन।
5. शुक्ला हीरालाल, (1997), *"आदिवासी अस्मिता और विकास"* भोपालः मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
6. उप्रेती हरिश्चंद्र, (1997) *"भारतीय जनजातियां"* जयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
7. दी मध्य प्रदेश, (1998) *"ह्यूमन डेवलपमेंट"* रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन।
8. तिवारी शिव कुमार, शर्मा श्री कमल, (2000), *"मध्यप्रदेश की जनजातियां"* भोपाल, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
9. वन संरक्षण अधिनियम, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना मध्य प्रदेश।

––==00==––